मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक/एफ– 13/12/2007/ । भोपाल दिनांकः– 13-8-2007

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषयः– प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति से संबंधित।

संदर्भः– म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल का आदेश क्रमांक/F-13/12/2007/2... दिनांक 13-08-2007

—0—

स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य हाईस्कूल से प्राचार्य उमावि पद पर पदोन्नति आदेश जारी करते हुए आपकी ओर भेजे जा रहें हैं इस संबंध में निम्नानुसार निर्देशों के अनुक्रम में व्यवस्था सुनिश्चित की जाये :–

1/ संदर्भित पदोन्नति आदेश ई–मेल के द्वारा आपको भेज दिये गये हैं, जारी आदेशों को अपने स्तर से पृष्ठांकित कर पदोन्नत लोक सेवक को तत्काल उपलब्ध करायें ।

2/ जारी आदेशों की मुद्रित प्रतियां भी पृथक से भेजी जा रही हैं इन्हें अतिरिक्त रूप से पदोन्नत लोक सेवक एवं अन्य संबंधितों को उपलब्ध कराई जायें ।

3/ आदेश में उल्लेखित निर्देशों का बारीकी से अध्ययन किया जाये एवं तदानुसार सभी कार्यवाहियां निर्धारित समयावधि एवं निर्धारित तरीके से संपन्न कराई जायें।

4/ सभी पदोन्नत लोक सेवकों को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदोन्नत पद पर दिनांक 24.8.2007 तक उपस्थित देनी है, उक्त कार्यभार ग्रहण किये हुए पदोन्नत लोक सेवकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 25.9.2007 को आपके द्वारा आयोजित किया जाना है जिसमें आयुक्त लोक शिक्षण के प्रतिनिधि के रूप में संचालनालय के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे ।

5/ प्रशिक्षण उपरांत दिनांक 25.8.2007 को ही अपरान्ह पदोन्नत लोक सेवकों को पदोन्नति उपरांत उनकी पदस्थापना स्थान के लिए आपके द्वारा अनिवार्यतः कार्यमुक्त किया जाना है ।

6/ आदेशों के साथ संलग्न प्रपत्र –1,2,एवं 5 की एकीकृत जानकारी संचालनालय से उपस्थित अधिकारी के हस्ते संचालनालय को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भिजवाया जायेगा , प्रपत्र 3 एवं 4 की जानकारी निर्धारित दिनांक 30.8.2007 जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पृथक से वाहक के हस्ते संचालनालय के संबंधित कक्ष में उपलब्ध कराई जायेगी एवं पावती प्राप्त की जायेगी ।

6.1:– आदेशों के संलग्न प्रपत्र 1 में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे पदोंन्नत लोक सेवकों की सूची उपलब्ध कराई जानी है जिनके द्वारा निर्धारित दिनांक 24.9.2007 तक पदोंन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है ।

6.2:– पदोंन्नत लोक सेवकों को प्रपत्र 2 के प्रारूप में आपके द्वारा निर्धारित दिनांक 25.8.2007 को पदोंन्नति उपरांत पदस्थापना स्थान के लिए भारमुक्त किया जाना है ।

6.3:– ऐसे पदोंन्नत लोक सेवक जिनके द्वारा दिनांक 24.8.2007 तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है और लिखित आवेदन के साथ पदोंन्नति से असहमति व्यक्त की जाती है तो उनकी जानकारी संलग्न प्रपत्र –3 में एकीकृत सूची के रूप में संचालनालय को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा ।

6.4:– ऐसे पदोंन्नत लोक सेवक जिनके द्वारा दिनांक 24.8.2007 तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता , प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया जाता और लिखित में पदोंन्नति अस्वीकार करनें की कोई सूचना नहीं दी जाती है तो ऐसे लोक सेवकों की जानकारी एकीकृत सूची के रूप में संलग्न प्रपत्र 4 में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संचालनालय को प्रस्तुत की जायेगी ।

6.5:– प्राचार्य उमावि के रूप में वर्तमान में कार्यरत प्राचार्य हाईस्कूल को शासन स्तर से आगामी पदस्थापना होंने तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित कराया जाना है, जिला स्तर से संलग्न प्रपत्र 5 में उक्त आशय का आदेश जारी किया जाना है, ऐसे सभी हाईस्कूल प्राचार्यों की पदस्थापना का प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पृथक से संचालनालय को निर्धारित दिनांक 30.8.2007 तक प्रस्तुत किया जाना है ।

7/ ऐसे पदोंन्नत लोक सेवक जिनकी पदोंन्नति आदेश में जिले से बाहर पदस्थापना की गई है उन्हें वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा तत्काल प्राथमिकता देते हुए पदस्थापना वाले जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिए कार्यमुक्त किया जाना चाहिए ताकि वे अपनी उपस्थिति निर्धारित दिनांक 24.8.2007 को दे सकें एवं दिनांक 25.8.2007 को प्रशिक्षण में शामिल हो सकें ।

उक्तानुसार सभी कार्यवाही यथा निर्देशित समय एवं तरीके से की जायें किसी भी स्तर पर किसी प्रकार की कठिनाई होंने पर तत्काल संचालनालय के संबंधित अधिकारियों संचालक लोक शिक्षण तथा आवश्यक्तानुसार आयुक्त लोक शिक्षण से सीधे संपर्क किया जा सकता है ।

(के.सी.पंत)
अवर सचिव
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

पृक्रमांक/एफ– 13/12/2002/20-1 भोपाल दिनांकः– 13/08/2007

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र.भोपाल की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जिला प्रभारी अधिकारी नामांकित कर आवश्यक कार्यवाही करानें का कष्ट करें ।

अवर सचिव

म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग